न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 22/2019

रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी बुडानिया, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.04.2019 न्यायालय तहसीलदार चिडावा, मुकदमा न0 39/2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामकरण अ0धा0 91 राज0भू0राजस्व अधिनियसम 1956

––

उपस्थितः–

1. श्री नेकीराम बुडानिया –एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 31.07.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 03.04.2019 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से हैः– निर्णय अदालत मातहत विरूद्व कानून एवं पत्रावली होने से काबिले निरस्त है। अदालत मातहत ने महज कयासत पर आधारित होकर निर्णय पारित करने मे गलती कानून की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आधारित होकर निर्णय पारित करने मे गलती कानूनी की है। अपीलान्ट को जबाब देही व दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होकर निर्णय पारित करने मे गलती कानूनी की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर प्रदान ही नही किया गया। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान नही रिकार्ड नही किये। मात्र राजनैतिक द्वेषता एवं हल्का पटवारी से झूंठी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट को बेदखल करने मे गलती कानूनी की है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना तो पूर्व मे कभी किया तथा ना ही वर्तमान मे किया गया है बल्कि वास्तविकता यह कि उक्त रास्ता वर्तमान मे भी चालू है। इस तरह वास्तविक जांच के अभाव मे महज पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलान्ट

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

की बेदखली करने मे गलती कानूनी की है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय मातहत अदालत दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि अदालत मातहत ने महज कयासत पर आधारित होकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नही दिया महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर आधारित होकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को जबाब देही व दस्तावेजात् प्रस्तुत करने का अवसर नही देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का अवसर प्रदान ही नही किया गया। अदालत मातहत ने हल्का पटवारी के बयान नही रिकार्ड नही किये। मात्र राजनैतिक द्वेषता एवं हल्का पटवारी से झूंठी रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्ट को बेदखल करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने गैर मुमकीन रास्ता ख0न0 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर भूमि पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण ना तो पूर्व मे कभी किया तथा ना ही वर्तमान मकिया गया है बल्कि वास्तविकता यह कि उक्त रास्ता वर्तमान मे भी चालू है। इस तरह वास्तविक जांच के अभाव मे महज पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट पर विश्वास कर अपीलान्ट की बेदखली आदेश पारित किये है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय मातहत अदालत दिनांक 03.04.2019 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट ने दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत द्वारा उक्त विवादित प्रकरण में ग्राम बुडानिया स्थित भूमि खसरा नम्बर 718 कुल रकबा 0.14 हैक्टर गै0मु0 रास्ता की भूमि है। अपीलान्ट का कथन है कि अदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया परन्तु रिकार्ड मातहत के अवलोकन से साफ जाहिर है कि अपीलान्ट की तलबी दिनांक 27.08.2018 को विधि सम्मत् रूप से हुई है जिसे अपीलान्ट ने स्वयं प्राप्त किया है। अदालत मातहत द्वारा सुनवाई हेतु काफी अवसर प्रदान किये परन्तु अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर आदेश पारित किया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा किये गये अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि है जो कि राजकीय भूमि है जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण वैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय की दृष्टि में अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं है। अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर, झुंझुनू